II/निगरानी/रीवा/भू.रा./2017/6037

न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2017 पुनरीक्षण

श्री आर. पी. द्विवेदी अधि. द्वारा आज दि० 11-12-17 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 3-1-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर 11-12-17

सरपंच ग्राम जबा तहसील जबा जिला रीवा म0प्र0, द्वारा सरपंच चांदूलाल वर्मा

--आवेदक

बनाम

1. रामजुड़ावन
2. रोहिणीप्रसाद
3. फूलकरण पुत्रगण श्री मोतीलाल निवासीगण ग्राम जबा तहसील जबा जिला रीवा, म0प्र0 --अनावेदकगण

जे.एस.गौड एडवोकेट नया बाजार ग्वालियर

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 17/11/2017 पारित द्वारा तहसीलदार तहसील जबा जिला रीवा के प्रकरण कमांक 10/ए-70/2017-18 व उनवान रामजुड़ावन बनाम सरपंच ग्राम पंचायत जबा ।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यहकि, प्रश्नाधीन भूमि सर्वे कमांक 1584/1 रकवा 0.328 हैक्टर स्थित ग्राम जबा तहसील जबा जिला रीवा में हैं, जो राजस्व अभिलेखों में शासकीय दर्ज होकर म0प्र0 शासन विकासखण्ड अंकित हैं, जो ग्राम पंचायत जबा जनपद पंचायत जबा के स्वामित्व की हैं। आवेदक द्वारा उक्त भूमि पर म0प्र0 शासन भोपाल से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ग्राम पंचायत

...स्य न्यायालय के

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक दो/निगरानी/रीवा/भू.रा./2017/6037

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13.12.17	आवेदक के अधिवक्ता श्री आई0 पी0 द्विवेदी उपस्थित होकर शीघ्र सुनवाई का आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार तहसील जबा जिला रीवा के प्रकरण कमांक 10/अ–70/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 17.11.2017 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 2–प्रकरण का सारांश इस प्रकार है कि प्रश्नाधीन भूमि सर्वे कमांक 1584/1 रकवा 0.328 है0 स्थित ग्राम जबा तहसील जबा जिला रीवा में है, जो राजस्व अभिलेखों में शासकीय दर्ज होकर म0 प्र0 शासन विकास खण्ड अंकित है, जो ग्राम पंचायत जबा जनपद पंचायत जबा के स्वामित्व की है। आवेदक द्वारा उक्त भूमि पर म0 प्र0 शासन भोपाल से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ग्राम पंचायत जबा द्वारा दुकानों का निर्माण कार्य उक्त भूमि पर कराया जा रहा है, तहसीलदार जबा द्वारा निर्माण कार्य पर स्थगन दिनांक 17.11.17 को दिया गया था जिससे दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।	

3–आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.11.17 विधि विधान एवं प्रकरण पत्रिका में निहित तथ्यों व अभिलेखों में उपलब्ध साक्ष्य एवं कानूनी प्रकिया के पूर्णतः विपरीत होने से प्रथम दृष्टिया ही निरस्त किये जाने योग्य है। आवेदक अधिवक्ता का तर्क यह भी है कि इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर भी विचार नहीं किया गया कि सर्वे कमांक 1584/1 राजस्व अभिलेखों में शासन की होकर आवेदक के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि है, जिसमें म0 प्र0 शासन से विधिवत तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर आवेदक द्वारा दुकानों का निर्माण कराया जा रहा हैं, उक्त दुकानों का निर्माण आवेदक द्वारा पब्लिक मार्जन मनी योजना के तहत जनहित में कराया जा रहा है, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचार न कर विवादित आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। आवेदक अधिवक्ता विवादित सर्वे कमांक 1584/1 पर अनावेदकगण का कभी भी स्वामित्व एवं आधिपत्य नहीं रहा है और ना ही वर्तमान में है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि माननीय सिविल न्यायालय से कोई स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया है इसलिये तहसीलदार जबा द्वारा दिनांक 17.11.17 का दिया गया स्थगन निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

4– आवेदक अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये तथा प्रकरण में

संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि तहसीलदार जबा द्वारा दिनांक 17.11.2017 को 7 दिवस का स्थगन दिया गया था। तहसीलदार जबा द्वारा आगामी पेशी दिनांक को पुनः स्पष्ट रूप से कोई स्थगन आदेश बढ़ाया नहीं गया है और न ही जारी किया गया है इसलिये स्पष्ट है कि तहसीलदार जबा द्वारा जारी स्थगन आदेश 7 दिवस पशचात स्वतः ही समाप्त हो चुका है इसलिये निर्माण कार्य पर कोई स्थगन नहीं होने के कारण निर्माण कार्य पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती। तहसीलदार द्वारा अपने आदेश पत्रिका में उल्लेख किया है कि व्यवहार न्यायालय के समक्ष प्रकरण विचाराधीन है लेकिन उसमें किसी प्रकार का स्थगन आदेश नहीं है। ऐसी स्थिति में व्यवहार न्यायालय में प्रकरण विचारणधीन होने के आधार पर स्थगन आदेश जारी करने में वैधानिक त्रुटि की है। इसलिये उनका आदेश स्थिर रखने योग्य नहीं है।

5– उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार तहसील जबा जिला रीवा के प्रकरण कमांक 10/अ–70/2017–18 में पारित अंतिरिम आदेश दिनांक 17.11.2017 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है। तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है।

सदस्य